ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 77-79**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

महिलाओं की स्थिति में शिक्षा का योगदान

डॉ0 अशोक कुमार
ग्राम– निगरी टोला मनीपर, पो0–डोभी, जिला–गया (बिहार) भारत

Received-10.01.2025, Revised-18.01.2025, Accepted-23.01.2025 E-mail:aaryvart2013@gmail.com

सारांशः भारत में स्त्रियों को समाज में प्रारंभ से ही ऊँचा स्थान दिया गया है। पुरूष की तुलना में नारियों को वरीयता दी जाती रही है। राम सीता या श्यामराधा, नहीं सीताराम, राधेश्याम कहा जाता है। पूजा, विभिन्न संस्कारों उत्सवों में भी नारियों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। उन्हें वामांगी कहा जाता है, क्योंकि हमारा हृदय शरीर के बायी ओर होता है, इसलिए किसी सामाजिक धार्मिक कार्य में पुरुष का कोई भी धार्मिक कार्य अधुरा माना जाता रहा है। वैदिक युग हिन्दू समाज स्वर्ण युग था। इस युग में नारी की स्थिति न केवल अच्छी थी बल्कि अत्यन्त उन्नत भी थी। वैदिक साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय नारियों की स्थिति उनके वैदिक साहित्य शिक्षा, विवाह, सम्पत्ति अर्थात् सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में प्रायः पुरुषों के समान थी। नारियों को शिक्षा, संस्कार धार्मिक कृत्यों, शास्त्रार्थ, सभाओं आदि में पुरुषों के साथ संयुक्त रूप से भाग लेने का अधिकार था। बालक एवं बालिकाओं को समान रुप में वेदों के अध्ययन की सुविधा थी।

कुंजीभूत शब्द– शिक्षा का योगदान, संस्कार, उत्सव, वामांगी, स्वर्ण युग, उन्नत, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, धार्मिक कृत्य

अथर्ववेद में नारियों का घर और परिवार की साम्रज्ञी बतलाया गया है।

सम्राज्ञ्येधि श्वशुरेषु सग्राज्ञ्युत देवृष।
ननान्दुः सग्राज्ञ्योषि सग्राज्ञ्युत श्वश्रवा ।।

अर्थात् है नरवधू तू जिस नवीन में पदार्पण कर रही है, वहाँ तू रानी है, सम्राज्ञी है। वहाँ तेरा ही राज्य है। तेरे श्वसुर और सास ननद और देवर तेरे राज्य में प्रसन्न एवं आंनदित रहे।

वैदिक काल में स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। यह प्रथा केवल राजकुमारियाँ तक ही सीमित नहीं थी। सामान्य आर्यकन्याएँ भी वर का चुनाव इस पद्धति के द्वारा करती थी। सामाजिक जीवन में उनकों कन्या, बहन, पत्नी व माता सभी रुपों में पवित्र समझा जाता था। राधा कुमुद मुखर्जी के शब्दों में "ऋग्वेद ने तत्कालीन योग्य नारियों को उच्चतम सामाजिक पद प्रदान किया था।" उत्तर वैदिक युग, रामायाण व महाभारत के प्रारम्भिक काल में भी स्त्रीयों को पुरुषों के समान सामाजिक एवं धार्मिक अधिकार प्राप्त थे। इस काल में भी बालिकाओं को शिक्षा व संस्कार की सुविधाएं उपलब्ध थी। माता को परिवार व समाज में बड़ा सम्मान मिलता था। कहीं–कहीं तो उन्हें गुरु से भी श्रेष्ठ माना गया है। गुरुणां वैव सवेवां माता ही परमों गुरु। लेकिन महाभारत के अन्तिम चरण में नारियों की स्थिति में गिरावट आने लगी थी। बौद्ध काल में नारियों की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन योग्य महिलाओं को सम्मान मिलता था। बौद्ध मठों में भिक्षुणियों के शिक्षण की आवश्यकता रहती थी, लेकिन सामान्य स्त्रियों की शिक्षा में गिरावट दिखाई पड़ने लगी। नारियों पर कुछ नये सामाजिक प्रतिबन्ध लगाये गये। परिवार में भी अब उन्हें वह स्थान नहीं मिला जो वैदिक युग में प्राप्त था। स्मृतिकाल में समाज में महिलाओं की उच्च एवं निम्न दोनों प्रकार की स्थितियों के उदाहरण मिलते हैं। समृतिकारों ने यह निर्देश दिया कि नारियों की किसी भी अवस्था में स्वतंत्र न रखा जाय, बाल्यावस्था में पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रखना उचित है। विविधओं के पुनर्विवाह पर कठोर प्रतिबन्ध लगा। सती होना सर्वोत्तम समझा गया। मनु संहिता में कहा गया हैः

यत्र र्नास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूजन्ते सर्वास्तत्राफलाः किया।।

अर्थात् जिस कुल में नारियों का आदर किया जाता है। उस कुल के देवता प्रसन्न रहते हैं। जहाँ उनका अनादर किया जाता है वहाँ सभी क्रियांए निष्फल हो जाती है।

एक स्थान पर स्त्रियों की प्रकृति के सम्बन्ध में भीष्मपितामह ने कहा है कि स्वभाव से स्त्री में लालच को दबाने की क्षमता नहीं होती इसलिए उन्हें हमेशा किसी पुरुष का संरक्षण मिलना चाहिए। बौद्ध धर्म में नारियों को सम्माननीय स्थान प्राप्त था। सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गयी थी। थेरीगाथा के लेखकों में 83 महिला लेखक थीं, जिसमें 32 ने तो अविवाहित जीवन बिताया। यायन्त नामक राजकुमारी ने स्वतं महावीर स्वामी से दीक्षा ली थी और आजीवन अविवाहित रही। इस तथ्यों के आधार पर डॉ0 अल्तेकर का कथन है कि "हम यह निष्कर्म निकाल सकते हैं कि खुशहाल परिवारों में बहुत सी लड़कीयों को ईसा के करीब 300 वर्ष पूर्व तक उचित मात्रा में शिक्षा प्रदान की जाती थी।"

शोचन्ति जामयों यत्र विनश्य त्याशु तत्कुलम। न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तन्द्धि सर्वदा।।

अर्थात् जिस कुल में स्त्री पुत्रवधु शोक करती है वह कुल शीर्घ नष्ट हो जाता है और जहाँ यह शोक नही करती वह कुल निश्चय की बढ़ता है।

जामयों यानि गेहानि शपन्त्य प्रति पूजिताः। तानि कृत्या हतानीय विनश्यन्ति समन्ततः।।

अर्थात जिन स्त्रियों का आदर नहीं होता है वे जिन कुलों को शाप देती है वे मारण से मारे जाने के समान चारों ओर से नष्ट हो जाते हैं।

तत्यादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः।भूति कामैर्नरैनियं सत्कारेषुत्सवेषु च।।

अर्थात इसलिए सम्पत्ति चाहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि आदर के अवसरों पर और उत्सवों में वस्त्राभूषण और भोजन से सदा स्त्रियों का आदर करें।

संतुष्टों भार्य या भर्ता भार्या तथैव च। यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम।।

अर्थात जिस कुल में स्त्री से पति प्रसन्न रहता है और उसी प्रकार पति से स्त्री प्रसन्न रही है, वहाँ निश्चय ही अचल कल्याण होता है, परन्तु दूसरी ओर नारियों पर आजीवन नियंत्रण रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। मनु संहिता में ही एक स्थान पर कहा गया है–

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

पिता रक्षति कौमारे भर्त्ता रक्षति यौवने। पुत्रस्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातन्यर्महति।।

अर्थात कौमार्य अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्धा अवस्था में पुत्र स्त्री की रक्षा करें। स्त्री कभी स्वतंत्र ना रहे।

स्मृतियों में उन आधारों का भी उल्लेख किया गया है जिनपर पत्नियों का परित्याग किया जा सकता है। मद्यपान, दुश्चरित्रता, असाध्य रोग, अपव्यय, बंध्यात्व, कटु भाष, केवल पुत्रियों का ही जन्म आदि इन आधारों में सम्मिलित थे। उत्तर कालीन स्मृतियों, टीकाकारों एवं सारसग्रह लेखकों के काल को स्त्रयों के सन्दर्भ में सामाजिक एवं धार्मिक संकीर्णता का युग कहा जा सकता है। चन्द्रावती लखनपाल का कथन है कि, इस काल में स्त्रियां गृहलक्ष्मी से याचिका के रूप में दिखाई देने लगी, माता सेविका तथा जीवन और शक्ति प्रदायिनी देवी अब निर्बलताओं की प्रतीक बन गई। स्त्री जो किसी समय अपने प्रबल व्यक्तित्व द्वारा देश के साहित्य और समाज के आदर्शों को प्रभावित करती थी, अब परतन्त्र, पराधिन, निस्साहय और निर्बल बन चुकी थी। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार समाप्ति हो चुका था, अतः उन्हें शूद्र के समान स्थिति प्रदान की गई।

इस उत्तरकालिन स्मृतियों, टीकाकारों एवं सारसंग्रह लेखकों के काल में स्त्रियों की स्थिति गिराने में अनेक शास्त्रकारों द्वारा दी गई व्यवस्थाओं का योग रहा है। इस समय पतिव्रत का एक तरफा आदर्श प्रस्तुत किया गया। स्त्रियों को वैराग्य में बाधक मानने के कारण उनकी निन्दा की गयी। स्त्रियों की पुरूषों को अपनी ओर आकर्षित कर पतित करने वाला बताया गया है। डॉ0 अल्तेकर ने लिखा है, "इस तरह ईसा के 200 सौ वर्ष से 1800 वर्ष पश्चात् के करीब 2000 वर्षों के काल में स्त्रियों की स्थिति की लगातार गिरती गई, यद्यपि माता–पिता उसे दुलारते थे, उसे प्रेम करता था और बच्चे उसका आदर करते थे। सती प्रथा के पुनः प्रचलन, पुनर्विवाह पर प्रतिबन्ध, पर्दा–प्रथा के विस्तार और बहु–विवाह की व्यापकता ने उसकी स्थिति को बहुत निकृष्ट कर दिया। पितृ प्रधान परिवारों के उदय से परिवार में स्त्रियों की स्थिति में और गिरावट आई। समाज में बहुपत्नी विवाह प्रथा प्रचलित हो गयी और विधवाँ विवाह पर प्रतिबन्ध लगाये गये। स्त्रियाँ सम्पत्ति के अधिकारों से भी वंचित होती गई।

देश में नारियों की इस प्रकार स्थिति मध्य युग के आरम्भ तक बनी रही। मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने और विशेषकर मुगल साम्राजय की स्थापना के बाद, स्त्रियों की दशा और भी दयानीय हो गयी। ब्राह्मणों ने हिन्दू धर्म की रक्षा, स्त्रियों के सतीत्व तथा रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए इस सम्बंध में नियमों को और भी कठोर बना दिया गया। ऊँची जातियों में स्त्री शिक्षा प्रायः समाप्त हो गयी। पर्दाप्रथा को और भी प्रोत्साहन मिला जिससे भारतीय स्त्रियों के शौक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यकलापों को गहरा धक्का लगा। उनके बीच अज्ञान एवं और अन्धविश्वास फैलता गया। स्त्रियों को भोग–विलास की वस्तु समझा जाने लगा।

ब्रिटिश शासन के आरम्भिक चरण में नारियों की स्थिति अत्यन्त बदतर हो चुकि थी। देश के कई भागों में सती प्रथा का प्रचलन था। विधवा विवाह पर कड़े सामाजिक प्रतिबन्ध लगे थे। बाल–विवाह की प्रथा भी व्यापक रूप में फैली हुई थी। पर्दा व दहेज प्रथाए भी सर्वत्र फैली हुई थी। स्त्रियां शिक्षा से वचिंत रहने लगी थी। अंग्रेजों के आने से भारतीय समाज पर पाश्चात्य सभ्यता का गहरा प्रभाव पड़ा। कई भारतवासियों को विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। विदेशों में महिलाओं को समाज में ऊँचों स्थान प्राप्त था तथा उन्हें शिक्षा तथा सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेने के प्रचुर अवसर उपलब्ध थे। ब्रिटिश शासनकाल में कई भारतीय पाश्चात्य विचारधाराओं के सम्पर्क में आए, उन्होंने भारतीय नारियों के पुनरुत्थान के लिए अनेक कदम उठाए।

ब्रिटिश काल में नारियों के हितों की रक्षा और उनकी स्थिति में सुधार का प्रयास करने वाले समाज सुधारकों में राजा राम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, राना डे, दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, एनी बेसेट, मार्गरेट कजिन्स, महात्मा गाँधी, रमाबाई, मेडम कामा, तोरुदत्त, स्वर्ण कुमारी देवी तथा कई अन्य ख्यातिप्राप्त व्यक्ति सम्मिलित है। देश में नारियों के बीच शिक्षा के प्रसार उनके हितों की रक्षा और कल्याण के लिए कई संगठनों की स्थापना की गई। इन समाज सुधारकों के प्रयासों के फलस्वरूप नारियों की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ तथा नारियों से सम्बद्ध कई सामाजिक बुराइयों पर नियंत्रण पाया जा सका। राजा राम मोहन राय तथा कुछ अन्य समाज सुधारकों द्वारा चलाए जाने वाले आन्दोलनों के फलस्वरूप सती–प्रथा पर विधि द्वारा रोक लगायी गयी। विधवा–विवाह को विधिक मान्यता दिलवाने में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का योगदान उल्लेखनीय हैं बाल–विवाह पर भी वैधानिक प्रतिबन्ध लगाए गए तथा देवदासी जैसी कुप्रथाओं को अवैध घोषित किया गया। स्त्रियों के बीच शिक्षा के प्रसार के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए अनेक सामाजिक विधान बनाए गए।

स्वतन्त्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों के अधिकारों से संबंधित बनाए गए विभिन्न सामाजिक विधानों एवं महिला शिक्षा में निरन्तर बढ़ोतरी ने स्त्रियों की स्थिति सुधार में तीव्रता आई। यही कारण है कि आज नारियों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा सकता है। आज सेना, पुलिस, न्याय, विदेश–सेवा, शिक्षा, व्यवसाय, विज्ञान, चिकित्सा आदि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ स्त्रियां न देखी जा सके। आज की नारी की इस स्थिति के लिए किए गए अनेक प्रयासों के अतिरिक्त शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ है जिनके कारण आज यह स्थिति सम्भव हो सकी हैं फिर भी अभी और सुधार की गुंजाइश है।

शिक्षा नारी को आत्म–विश्वास के साथ आर्थिक स्वावलम्बन की क्षमता और परम्परागत स्थिति को बदलने में सहयोग करती है। डॉ0 पाणिक्कर का कहना है कि, "न तो हिन्दू और न ही हिन्दू परम्पराओं ने नारियों में शिक्षा को हतोत्साहित किया है।" देश के इतिहास के प्रारम्भिक अवस्था से ही हम अनेक नारियों को जानते है जो विचारक, कवि और विदुषी रही है लेकिन यहां शिक्षा का व्यापक रूप से प्रसार नहीं था। शिक्षा ब्राह्मणों में तथा कहीं–कहीं राजघरानों तक सीमित थी। आज के वर्तमान समय में सभी वर्गों में स्त्री–शिक्षा का समान रूप से प्रसार हुआ है। अब शिक्षित भारतीय नारियों को पतित, क्रूर और अनौतिक पतियों को परमेश्वर अथवा पति–देवता के रूप में मानकर उनकी सेवा और पूजा करने के लिए बहलाया नहीं जा सकता है।

पिछले दो दशकों में भारत में नारी–शिक्षा में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। जिसे जनसंख्या से संबंधित निम्नलिखित आकड़ों में देखा जा सकता है–

वर्ष	स्त्री साक्षरता	पुरुष साक्षरता	कुल
1901	0.60	9.83	5.35
1911	1.05	10.56	5.92

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

1921	1.81	12.21	7.16
1931	2.93	15.59	9.50
1941	7.30	24.90	16.10
1951	7.93	24.95	16.67
1961	12.95	24.44	24.02
1971	18.69	39.45	29.46
1981	29.8	56.4	43.6
1991	39.4	63.9	52.1
2001	53.67	75.12	64.83
2011	65.46	82.14	74.04

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि जहाँ सन् 1901 में 0.60 प्रतिशत स्त्रियां शिक्षित थी 2011 में इनका प्रतिशत 65.46 हैं स्त्रियों के अनुपात में पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत उतनी तेजी से नहीं बढ़ा है। सन् 1991 के जनगणना के आकड़ों के अनुसार देश में शिक्षा का कुल 52.21 प्रतिशत था जो अब बढ़कर सन् 2011 में 74.04 प्रतिशत हो गया है। सन् 2011 की जनगणना सम्बन्धी आँकड़ों के अनुसार अब शिक्षा का प्रतिशत बढ़कर पुरुषों के लिए 82.14 प्रतिशत तथा स्त्रियों के लिए 65.46 प्रतिशत हो गया है। जहाँ तक व्यावसायिक शिक्षा की बात है, वहाँ भी स्त्रियों ने उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के बीच शिक्षा और साक्षरता का प्रसार बहुत कम हुआ है। स्वतन्त्रता के बाद स्त्रियों के बीच शिक्षा और साक्षरता में महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के बावजूद उनकी शैक्षिक स्थिति में संतोषजनक सुधार नहीं हो पाया है।

कामकाजी महिलाओं की संख्या में 1981 से निरंतर वृद्धि नजर आ रहा है। भारत के महपंजीयक के अनुसार 1981 में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी दर 19.67 प्रतिशत थी जो 2001 में बढ़कर 25.68 प्रतिशत हो गयी। ग्रामीण क्षेत्र में इनकी भागीदारी दर 11.55 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाएं सामान्यतया खेतीबाड़ी तथा कृषि श्रमिकों के रूप में कार्यरत है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 80 प्रतिशत कामकाजी महिलाए घरेलू उद्योगों, छोटे–मोटे कारबारों और निर्माण कार्यों जैसे असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत है। असंगठित क्षेत्रों में 31 मार्च 2003 तक 18.41 प्रतिशत कामकाजी महिलाए है। इस क्षेत्र (सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र) में लगभग 48.68 लाख महिलाएं कार्यरत है। इनमें से लगभग 28.12 लाख महिलाएं सामुदायिक, सामाजिक तथा कार्मिक सेवा क्षेत्र में कार्यरत है।

विभिन्न दशकों के साक्षरता संबंधित जनगणना के आकड़ों से परिलक्षित होता है कि नारीयों की साक्षरता दर में लगातार वृद्धि हुई हैं नारियों की स्थिति खासकर स्वतंत्रता के बाद लगातार बढ़ती गयी है। जो कि इनकी शिक्षा में होने वाले लगातार वृद्धि का ही परिणाम है। शिक्षा ने भारतीय नारियों को तार्किक ढ़ग से सोचने, निर्णय लेने के योगय बनाया। यही कारण है कि हजारों वर्षों से अंधविश्वासों, कुरीतियों, कुप्रथाओं आदि में जकड़ी नारियों ने इस बन्धन को तोड़ा और आज पुरुषों के समान समाज के हर पक्ष में अपना परचम लहरा रही है। यहाँ तक कि देश के सर्वोच्य पद राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित कर रही है। लेकिन फिर भी और सुधार की गुजांइश है, क्योंकि नारियों का यह प्रतिशत लगभग 20 से 25 प्रतिशत है। अतः इस ओर हमें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अथर्ववेद, 14/44.
2. राधा कुमुद मुखर्जी : वीमेन इन ऐंशियेंट इंडिया, पृ0 2.
3. महाभारत, 1/211/16.
4. मनुस्मृति : अध्याय 3, श्लोक 56.
5. महाभारत, अनुशासन पर्व, 43/19–21.
6. A. S. Altkar : op. cit, P. 15.
7. मनुस्मृति : अध्याय 3, श्लोक 57.
8. मनुस्मृति : अध्याय 3, श्लोक 58.
9. मनुस्मृति : अध्याय 3, श्लोक 59.
10. मनुस्मृति : अध्याय 3, श्लोक 60.
11. मनुसंहिता, अध्याय 9, श्लोक 3.
12. चन्द्रावती लखनपाल : स्त्रियों की स्थिति, पृष्ठ 25.
13. A.S Altekar : op. cit, p. 359.360.
14. K. M. Panikkar : op. cit, p. 36.
15. जनगणना रिपोर्ट 2011.
16. कुरूक्षेत्र मई 2006 पेज 35.

*****